# <u>न्यायालयः—शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजङ्</u> जिला-बडवानी (म०प्र०)

आप.प्रक.कमांक 143/2016 संस्थित दिनांक-10.03.2016

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बडवानी

-अभियोगी

### वि रू द्व

स्जित पिता उमेश यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी डिही थाना अकबरपुर, जिला-नवादा (बिहार)

–<u>अभियुक्त</u>

राज्य तर्फे एडीपीओ अभियुक्त तर्फे अभिभाषक — श्री एल०के० जैन ।

– श्री अकरम मंसूरी ।

### -: निर्णय:-

## (आज दिनांक 16.03.2018 को घोषित)

अभियुक्त के द्वारा दिनांक 12.02.2016 को समय 14:00 बजे स्थान– ए.बी. रोड मदरानिया फाटा, ठीकरी में वाहन कंटेनर क्रमांक एन.एल. 01 जी. 4902 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर भरत को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यू कारित की,जो कि, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.02.2016 को लखन और भरत अपनी अपनी मोटरसाईकिल से खुरमपुरा शादी में गये थे। शादी का कार्यक्रम होने के बाद लखन व भरत अपनी अपनी मोटरसाईकिल से घर तलवाडा डेब जा रहे थे कि, करीब 02:00 बजे की बात है। लखन और भरत ए.बी.रोड मदरानिया खरगोन फाटे पर रोड पार करते समय भरत को जुलवानिया तरफ से आ रहे कंटेनर कमांक एन.एल. 01 जी. / 4902 का चालक अपने कंटेनर को बडी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया व भरत की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। जिससे भरत मोटरसाईकिल सहित गिर गया। गिरने से व सिर में चोट लगने से भरत की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तब उसने अपने भाई कमल मानकर को मोबाईल पर घटना की बात बताई। घटना आसपास के लोगो ने देखी है। अभियुक्त पर प्रथम दृष्टया अपराध कुं० 48/2016 अंतर्गत धारा 304-ए भा.द.सं. का अपराध कंटेनर क्रमांक एन.एल. 01 जी. / 4902 के चालक द्वारा पाया जाने से प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। नक्शा मौका बनाया गया। मर्ग जांच की गयी। पी०एम० रिपोर्ट बनायी गयी। जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को धारा 41 क का सचूना पत्र दिया किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, एवं सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

## //2// <u>आप.प्रक.कमांक 143/2016</u> संस्थित दिनांक—10.03.2016

3. अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304—ए का अपराध विवरण पूर्व पीठासीन अधिकारी (श्रीमती वंदना राज पाण्डेय) द्वारा लगाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लेख किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि, वह निर्दोष है। उसे झूठा फसाया गया है, किन्तु बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

#### 4- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त सुजित ने दिनांक 12.02.2016 को समय 14:00 बजे स्थान—ए.बी. रोड मदरानिया फाटा,ठीकरी में वाहन कंटेनर कं. एन.एल. 01 जी. / 4902 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर भरत पिता रूखडू को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की,जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

## विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष -

- 5. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में लखन (अ.सा.1),कमल(अ.सा. 2),बबलु (अ.सा.3),राम (अ.सा.4),किरथ (अ.सा.5), डॉ० बबलु निगवाल (अ.सा.6), राजाराम सागोर (अ.सा.7), जमुनाबाई (अ.सा.8) व अशोक वर्मा (अ.सा.9) के कथन लेखबद्व कराए गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।
- 6. सर्व प्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या मृतक की मृत्यु दुध्रितना के कारण हुयी है। उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी लखन (अ.सा. 1) ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि, वाहन के चालक ने भरत की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी। साक्षी कमल(अ.सा.2) ने भी यह व्यक्त किया है कि, दुर्घटना में भरत की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने उसे भरत की लाश का पंचनामा बनाने के लिये प्र0पी0 3 का सफीना फार्म दिया था तथा पुलिस ने प्र0पी0 4 का लाश पंचनामा बनाया था, जिन पर उसने निशानी अंगुठा किया था। साक्षी बबलु (अ.सा.3) ने भी व्यक्त किया है कि, मोटरसाईकिल के चालक को जुलवानिया की ओर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी, और मोटरसाईकिल चालक की मृत्यु मौके पर ही हो गयी थी। साक्षी राम (अ. सा.4) ने भी व्यक्त किया है कि, उसके पिता भरत की मदरानिया फाटा पर दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। साक्षी किरथ (अ.सा.5) ने भी व्यक्त किया है कि, उसके बडे पापा भरत की मदरानिया फाटा पर दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। साक्षी जमुनाबाई (अ.सा.8) ने भी दुर्घटना में उसके पुत्र भरत की मृत्यु होने का उल्लेख है।
- 7. साक्षी राजाराम सागोरे (अ.सा.7)ने भी भरत की मोटरसाईकिल को मदरानिया फाटे पर टक्कर मार देने तथा दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जानी संबंधी रिपोर्ट दर्ज की थी, जो प्र0पी0 1 है। मृतक भरत की लाश का पंचनामा बनाने के लिये साक्षीगणों को प्र0 पी0 3 का सफीना फार्म दिया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी के द्वारा साक्षीगण के समक्ष मृतक भरत की लाश का पंचनामा प्र0पी0 4 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

# //3// <u>आप.प्रक.कमांक 143/2016</u> संस्थित दिनांक—10.03.2016

- साक्षी डॉ0 बबलू निगवाल (अ.सा.६) का कथन है कि वह दिनांक 12.02. 2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को हाइवे एम्बुलेंस के द्वारा आहत् अज्ञात व्यक्ति उम्र 35 वर्ष को दुर्घटना में मृत अवस्था में लाया गया था, जिसकी सूचना उसने थाना ठीकरी को दी थी, जो प्र.पी. 8 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। थाने के द्वारा उक्त मृत व्यक्ति के पोस्टमार्डम करने हेत् पत्र प्राप्त होने पर उसने उक्त मृत व्यक्ति का शव परीक्षण दिनांक 13.02.2016 करने पर उसने निम्न चोटे बाह्य चोटे पायी थी। शरीर पर अकडन मौजूद नहीं थी। फ्रन्टल बोन,पेराईटल और टेम्पोरल बोन में दोनो तरफ फैक्चर था। सिर पर आंतरिक हिस्सा बाहर निकला हुआ था। दाये तरफ का इमर्स फैक्चर था, तथा बायी तरफ का कंध फैक्चर था। कटा फटा घाव दाहिने कंधे में था। जिसका राईज 8 x 2 इंच था। टीबिया और फिब्रुला बोन दाहिने तरफ की फैक्चर थी, दाहिने तरफ की फिमर बोन फैक्चर डिसलोकेट थी। आंतरिक परीक्षण में साक्षी के द्व ारा मृत का परदा पसली और कोमलस्व,फुफफुस फेफडे,कंठ और श्वास नली, दाहिना फेफडा,बाया फेफडा,पेरिओन परकससिथम, हृदय,वृहद बाहिका,परदा,आंता की झिल्ली,मुंह तथा ग्रासनली, ग्रसनी यकृत, प्लीहा,गुर्दा पेल और हेल्दी मूत्राशय, पेल और खाली था। भीतरी और बाहरी जनयेन्द्रिय हेल्दी थी। पेट और उसके भीतर की वस्तुएं अधपचा भोजन और गैसेंस थी। छोटी आत और उसके भीतर की वस्तुएँ अधपचा भोजन और गैसेंस थी। बडी आत ओर उसके भीतर की वस्तुएँ फिक्ल पदार्थ और गैसेंस थी। साक्षी के अभिमत में मृत भरत की मृत्य हिमोरेजिकसौंक व वाईटल आर्गन ब्रेन में आयी चोटों के कारण ह्यी थी। एंटीमोर्टम और एक्सीडेंटल प्रकृति की थी। इस संबंध में साक्षी द्व ारा दी गयी परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी० 9 है,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 9. फरियादी लखन (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन कमल (अ.सा.2), बबलु (अ. सा.3), राम (अ.सा.4), किरथ (अ.सा.5) जमुनाबाई (अ.सा.8), ने भी किया है। डाँ० बबलु निगवाल (अ.सा.6) ने भी शव परीक्षण प्रतिवेदन को प्रमाणित कर फरियादी लखन (अ. सा.1) के मृत्यु से संबंधित कथनों का समर्थन किया है। फरियादी लखन (अ.सा.1) के द्वारा लिखायी गयी प्र0सू० प्रतिवेदन प्र0पी० 1 में भी भरत के गिरने से व सिर में चोट लगने के कारण मृत्यु हो गयी का उल्लेख है। फरियादी लखन (अ.सा.1) के मृतक भरत की मृत्यु संबंधित कथनों की सम्पूष्टि प्र0सू०प्रतिवेदन प्र0पी० 1 से होती है। बचाव पक्ष द्वारा भी भरत की मृत्यु के संबंधित कथनों को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी है।
- 10. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि, मृतक भरत की मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप हुयी थी।
- 11. अब यह विचार किया जाना है कि, क्या मृतक भरत की मृत्यु अभियुक्त सुजित के द्वारा उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस संबंध में विचार करने पर बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्क के दौरान मुख्य रूप से यह प्रतिरक्षा ली गयी कि, अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से वाहन चलाकर घटना कारित नहीं की है। अभियुक्त की पहचान भी संदिग्ध है। चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा भी अभियुक्त वाहन चालक की पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। अतः अभियुक्त के द्वारा धाटना कारित नहीं होना बताया है।

# //4// <u>आप.प्रक.कमांक 143/2016</u> संस्थित दिनांक-10.03.2016

- 12. अभियोजन पक्ष के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियुक्त के द्वारा ही उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाया जा रहा था। साक्षियों के द्वारा स्पष्ट रूप से कथन में यह बताया है कि,अभियुक्त के द्वारा ही दुर्घटना कारित कर भरत की मृत्यु कारित की।
- 13. उपरोक्त तर्क व प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर विवेचना की जा रही है। साक्षी लखन (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि, घटना लगभग ढेड वर्ष पूर्व की है। घटना वाले दिन वह अपने मामा भरत के साथ अपनी—अपनी मोटरसाईकिल से खुरमपुरा शादी में गये थे, तथा वहां से लौटते समय मदरानिया फाटा पर जुलवानिया की तरफ से कंटनेर का चालक तेज गित से वाहन को चलाते हुए लाया था। उसने मौके पर कंटेनर के नंबर देखे थे। जो एन.एल. 01 जी. 4902 थे। वाहन के चालक ने भरत की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे भरत के सिर में चोट आकर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठीकरी पर की थी, जो प्र0पी0 1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने प्र0पी0 2 का नक्शामौका बताया था,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे लाश का पंचनामा बनाने के लिये प्र0पी0 3 का सफीना फार्म दिया था,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस का जंचनामा प्र0पी0 4 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस का पंचनामा प्र0पी0 4 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 14. साक्षी कमल (अ.सा.2) ने अपने कथन में यह बताया है कि, घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व की है। दुर्घटना में भरत की मृत्यु हो गई थी, तब उसे घटना स्थल से लखन ने फोन पर सूचना दी थी। वह मौके पर गया था। जहां पर भरत की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने उसे भरत की लाश का पंचनामा बनाने के लिये प्र0पी0 3 का सफीना फार्म दिया था तथा पुलिस ने प्र0पी0 4 का लाश पंचनामा बनाया था, जिन पर उसने निशानी अंगुठा किया था।
- 15. साक्षी बबलु (अ.सा.3) ने अपने कथन में बताया है कि, उसकी खरगोन फाटे पर चाय की दुकान है। घटना लगभग डेढ वर्ष पूर्व की है। उसकी दुकान के सामने एक मोटरसाईकिल के चालक को जुलवानिया की ओर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी। ट्रक का चालक ट्रक को तेज गति से चलाकर ला रहा था। मोटरसाईकिल चालक की मृत्यु मौके पर ही हो गई थी।
- 16. साक्षी राम (अ.सा.4) एवं साक्षी किरथ (अ.सा.5) ने अपने कथनों में बताया है कि, घटना लगभग डेढ दो वर्ष पूर्व की है। भरत की मदरानिया फाटा पर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसे कमल (अ.सा.2) और लखन (अ.सा.1) ने दुर्घटना की सूचना दी थी।
- 17. साक्षी जमुनाबाई (अ.सा.८) ने अपने कथन में बताया है कि, घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है। दुर्घटना में उसके पुत्र भरत की मृत्यु हो गयी थी। घटना वाले दिन वह घर पर थी। रोड एक्सीडेंट में भारत की मृत्यु हो जाने की सूचना उसे मिली थी। भारत की मोटरसाईकिल को किसी ट्रक ने टक्कर मार दी थी।
- 18. साक्षी अशोक वर्मा (अ.सा.१) ने अपने कथन में बताया है कि,उसका ऋतुराज मोटर गेरेज के नाम से ए०बी०रोड ठीकरी पर चार एवं दो पहिया वाहनों को

# //5// <u>आप.प्रक.कमांक 143/2016</u> संस्थित दिनांक—10.03.2016

सुधारने का गेरेज है, उसके द्वारा दिनांक 16.02.2016 को पुलिस थाना ठीकरी के अपराध कं0 48 / 16 में जप्तशुदा कंटेनर कं0 एन.एल. 01—4902 का यांत्रिकीय परीक्षण किया था। उसके द्वारा किये गये परीक्षण में वाहन के सभी पुर्जे चालू अवस्था में पाये थे, तथा उसमें कोई भी यांत्रिकीय त्रुटि होना नहीं पायी थी,तथा वाहन को कंट्रोल करने के सभी पुर्जे ठीक अवस्था में थे। इस संबंध में उनके द्वारा दी गयी यांत्रिकीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी. 10 है,जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

- 19. साक्षी राजाराम सागोरे (अ.सा.7) ने अपने कथन में बताया है कि, वह दिनांक 12.02.2016 को पुलिस थाना ठीकरी पर सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी लखन ने उपस्थित होकर कंटेनर क्रमांक एन.एल. 01/4902 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर भरत की मोटरसाईकिल को मदरानिया फाटे पर टक्कर मार देने तथा दुर्घटना में भरत की मौके पर ही मौत हो जाने संबंधित रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जो उनके द्वारा थाने पर अपराध कं0 48 धारा 304—ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्र0 पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी,जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 20. उक्त साक्षी के द्वारा घटना स्थल पहुंचकर मृतक भरत की लाश का पंचनामा बनाने के लिये साक्षीगणों को प्र0 पी० 3 का सफीना फार्म दिया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी के द्वारा साक्षीगण के समक्ष मृतक भरत की लाश का पंचनामा प्र0पी० 4 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने घटना स्थल का नक्शामौका प्र0पी० 2 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी के द्वारा दिनांक 13.02.2016 को फरियादी लखन तथा साक्षीगण बबलु,कमल,किरत के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे, तथा दिनांक 16.02.2016 को अभियुक्त सुरजित के पेश करने पर कंटेनर क्रमांक एन.एल. 01/4902 मय प्रपत्रों के तथा सुरजित के ड्रायविंग लाईसेंस को जप्त कर प्र0पी० 8 का जप्ती पंचनामा बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त को गिरफतार कर प्र0पी० 9 का गिरफतारी पंचनामा बनाया था। दिनांक 23.02.2016 को साक्षीगण राम एवं जमुनाबाई के कथन उनके कहें अनुसार लेखबद्ध किये थे।
- 20. राजाराम सागोरे (अ.सा.७) अनुसंधानकर्ता है जिनके द्वारा अनुसंधान के दौरान की गयी कार्यवाही संबंधी साक्ष्य दी गयी है,जो कि, औपचारिक स्वरूप की है। उक्त साक्षी ने भी बचाव पक्ष के यह तर्क को स्वीकार किया है कि, उसके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के नाम से रिपोर्ट लिखायी थी, व किसी भी साक्षी ने चालक का नाम नहीं बताया था, व उसके द्वारा कंटेनर मालिक के कोई कथन नहीं कराये थे। उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त द्वारा ही वाहन चलाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं दिये है। अतः अभियुक्त के द्वारा ही उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाकर मृतक भरत की मृत्यु कारित करने के संबंध में उक्त साक्षी के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है।
- 21. उक्त वाहन अभियुक्त के द्वारा ही चलाया जा रहा था। इस संबंध में साक्षी लखन (अ.सा.1) ने यह कथन किया है कि, दुर्घटना के समय अभियुक्त को नहीं देखा था, व घटना लगभग डेढ वर्ष पूर्व की है। उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि, जुलवानिया की तरफ से वाहन कंटेनर का चालक तेज गति से वाहन चलाते हुये लाया था, परन्तु अभियुक्त के द्वारा ही उक्त वाहन कंटेनर को तेज गति से

# //6// <u>आप.प्रक.कमांक 143/2016</u> संस्थित दिनांक-10.03.2016

चलाया जाना व्यक्त नहीं किया है। साक्षी कमल (अ.सा.2),ने भी यह कथन किया है कि, उसे दुर्घटना में भरत की मृत्यु हो जाने की सूचना लखन ने फोन पर दी थी व साक्षी जमुनाबाई (अ.सा.8) को भी भरत की मृत्यु की सूचना मिली थी, अभियुक्त की पहचान संबंधित कोई कथन नहीं किये है, उक्त साक्षीगण अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आते है, अतः उक्त साक्षीगण के कथन भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। साक्षी बबलु (अ.सा.3) ने अभियुक्त को पहचाने से इंकार किया है, व उक्त ट्रक का चालक अभियुक्त ही था, इस संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है, यहां तक की साक्षी द्वारा ट्रक का पुलिस कथन में नंबर बताने वाली बात से भी इंकार किया है। साक्षी राम (अ. सा.4), व साक्षी किरथ (अ.सा.5) ने भी अभियुक्त को पहचानने संबंधित कोई कथन नहीं किये है, व उससे अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न में भी अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। साक्षी जमुनाबाई (अ.सा.8) ने भीउक्त दोनो चक्षुदर्शी साक्षियों ने भी अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाये जाने के संबंध में साक्ष्य नहीं दी है,व अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। बचाव पक्ष द्वारा भी राजाराम सागोरे (अ.सा.7) के प्रतिपरीक्षण के अलावा किसी भी साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं किया हैं।

- 22. उक्त साक्षीगण के कथनों से यह दर्शित है कि, उन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा घटना प्रमाणित नहीं किये जाने के कारण साक्षी अशोक कुमान वर्मा (अ.सा.9) जिसके द्वारा वाहन की मेकेनिकल जांच की गयी थी, की साक्ष्य सारहीन है।
- 23. इस प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी लखन (अ.सा.1),बबलु (अ.सा.3), ने अभियुक्त को पहचाने जाने संबंधी साक्ष्य नहीं दी है व उक्त साक्षीगण द्वारा व अन्य साक्षियों ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है,अतः उक्त साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि, मृतक भरत की मृत्यु अभियुक्त सुजित के द्वारा उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है, और उसे उक्त अपराध या किसी अन्य अपराध के लिये दोषसिद्ध भी नहीं उहराया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत जवाहरलाल विरुद्ध म0प्र0 राज्य 238 एम०पी० विकली नोट्स 1994—(II) तथा न्यायदृष्टांत राम दयाल् विरुद्ध म0प्र0 राज्य 1993 एम०पी०एल०जे० अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, यदि वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है,तब दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है।
- 24. उपरोक्त समग्र विवेचना व उभय पक्षों के तर्क से यह प्रमाणित नहीं होता है कि, अभियुक्त सुजित ने दिनांक 12.02.2016 को समय 14:00 बजे स्थान ए०बी०रोड मदरानिया फाटा में वाहन कंटेनर क्रमांक एन.एल. 01 जी. / 4902 को उपेक्षा पूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर भरत को टक्कर मार कर उसकी मृत्यू कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।
- 25. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक् में अभियुक्त के विरूद्ध निर्णय के चरण कं0 4 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव् अभियुक्त को धारा 304-ए भा0द0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

#### //7// <u>आप.प्रक.कमांक 143 / 2016</u> <u>संस्थित दिनांक-10.03.2016</u>

- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। **26**.
- अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द०प्र०सं० की धारा 428 के 27. तहत प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन कंटेनर क्रमांक एन.एल. 01 जी. / 4902 पूर्व से पंजीकृत स्वामी सौरभ कुमार बाहेती की सुपुर्दगी पर है उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधी पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही / –

सही / –

(शरद जोशी) अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.